

पत्रांक: 66 /न्याय सहायक/ कोरोना वायरस /2021

कार्यालय

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

दिनांक: 07.01.2021

मा० जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, कोविड-19 के थेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि गृह(गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय के करते हुये गृह (गोपन), अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 2127/2020-सी०एक्स-3 दिनांक 03.10.2020 इस सीमा तक ही संशोधित किया गया है। शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

- (1) कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाये जाने पर 50 मीटर की परिधि में कन्टेनमेंट जोन होगा।
- (2) एक से अधिक केस पाये जाने पर, कलस्टर की स्थिति में, कन्टेनमेंट जोन का दायरा 100 मीटर की परिधि का होगा।
- (3) यदि एक ही आवास में एक से अधिक संकिय केस पाये जाये तो उस दशा में उसे सिंगल केस मानकर ही कन्टेनमेंट जोन निर्धारित किया जाये।

गृह (गोपन), अनुभाग-3 के आदेश संख्या 2358/2020/सी०एक्स-3 दिनांक 30 नवम्बर, 2020 के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के अन्दर निम्न कार्यवाहियाँ अनिवार्यतः की जाए-

- (a) केवल अति आवश्यक गतिविधियाँ ही अनुमन्य की जाए।
- (b) कन्टेनमेंट जोन के भीतर एवं बाहर चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु सख्त मानक अपनाये जाए।
- (c) इस उद्देश्य हेतु गठित सर्विलान्स टीम द्वारा प्रत्येक मकान (House to house) की सघन निगरानी की जाय।
- (d) निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 की टेंस्टिंग की जाए।
- (e) कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूची (कान्ट्रैक्ट ट्रैसिंग) तैयार की जाए तथा इनके चिन्हांकन, ट्रैसिंग, क्वारेन्टाईन तथा 14 दिनों तक निरन्तर अनुश्रवण की कार्यवाही की जानी चाहिये (यथा संभव पॉजिटिव पाये जाने के 72 घण्टे की भीतर ही 80 प्रतिशत सम्पर्क चिह्नित कर लिये जाए)।
- (f) कोविड-19 मरीजों को तत्काल आईसोलेशन (यदि वो होम आइसोलेशन की शर्त पूर्ण करते हैं तो होम आइसोलेशन) करते हुये चिकित्सकीय उपचार प्रारम्भ कर दिया जाए।
- (g) आवशकतानुसार हॉस्पिटल में भर्ती कर उपचार किया जाए तथा उपचार की शतत निगरानी रखी जाए।
- (h) आई०एल०आई०/एस०ए०आर०आई० के प्रकरण में निरन्तर निगरानी रखते हुये स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए। बफर जोन में फीवर क्लीनिक अथवा मौबाईल चिकित्सा यूनिट को सक्रीय किये जाने पर विचार किया जाए।
- (i) कोविड-19 से संबंधित अनुमन्य गतिविधियों (आचरण) (Appropriate behaviour) के विषय में आम समुदाय को निरन्तर जागरूक किया जाए।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2021 दिनांक 07.01.2021 में अवगत कराया गया है कि "प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टैण्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लगाने व सोशल डिस्टैंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की सम्भावना बनी रहती है।"

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 51 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये हैं, जिनमें 18—आवास विकास प्रथम (एच०एफ०एस / एस०एफ०एच०) नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, मौ० इन्दिरा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, नया गांव चांदपुर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, रामा एन्पलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० साठा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० सूर्या नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शास्त्री नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० राधा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, डी० ब्लॉक यमुनापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सिविल लाईन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, देवीपुरा द्वितीय, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, डी—८५, गंगानगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० शिवपुरी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० प्रेमनगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० शक्ति नगर, सिविल लाईन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० नजीमपुरा भूड़, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, लल्ला बाबू रोड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, ३/११ डी०एम० रोड, बुलन्दशहर बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में ३३ हॉटस्पाट—एन०ए०प००एस० टाउनशिप नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, सीआईएसएफ कालोनी नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, ग्राम बराल, वि०ख० गुलावठी, तहसील बुलन्दशहर, मौ० हीरा कालोनी, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, मौ० खत्रीवाड़ा, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, विकास नगर, कस्बा वि०ख० व तहसील स्याना, ग्राम खनपुरा, वि०ख० जहांगीराबाद, तहसील अनूपशहर, ग्राम तलवार, वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम ईसापुर, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, टीचर्स कालोनी, कस्बा औरंगाबाद, तहसील बुलन्दशहर, मौ० गांधी गंज, नगरीय क्षेत्र गुलावठी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सैदमपुर, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम जोखाबाद, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम फजलपुर, वि०ख० पहासू, तहसील शिकारपुर, ग्राम बरासऊ, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम ढकरौली, वि०ख० जहांगीराबाद, तहसील स्याना, ग्राम अकबरपुर, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम फतहपुर मकरन्दपुर थाना ककोड वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, गली नं०—१, चन्द्रलोक कालोनी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम सलेमपुर कायस्थ, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम असावर, वि०ख० बी०बी०नगर, तहसील बुलन्दशहर, मौ० नई बस्ती, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम भौंरा, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बुटेना, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम ढकौली, वि०ख० अगौता, तहसील बुलन्दशहर, मौ० करम—धरम नरौरा, तहसील डिबाई, ग्राम जुनैदपुर, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम शिवाली, वि०ख० लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम अट्टा, वि०ख० बी०बी०नगर, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम बामनी, वि०ख० दानपुर, तहसील डिबाई, ग्राम अनीवास, वि०ख० व तहसील अनूपशहर बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक ०७.०१.२०२१ तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या—६०५८ है, ७१४ व्यक्ति होम क्वारेनटाईन में हैं। जनपद में ९२ कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में यदि वादकारियों के रूप में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे तो माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सकमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त


अपर जिलाधिकारी—प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:— जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।


अपर जिलाधिकारी—प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्राप्ति

संकेत नं. गृह. यू. /री-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर
दिनांक-जनवरी ७, 2021

में,

बपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन की विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टेप्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व आनंद बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लागाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने पाए जे कारण संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु आपडाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

(B) ७/१/२१

प्रभारी निरीक्षक
स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर